मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम,मुख्यालय भोपाल मे रिक्त बाह्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी की संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

--::--

(1)संविदा पदों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियॉ	संवर्ग जिसके लिये आरक्षित है
1.	वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी	01	अनारक्षित

(2)संविदा नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हकारी शर्ते :-

अ-विज्ञापित संविदा नियुक्ति म.प्र.शासन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी-03-12/2011/3/एक दिनांक 0

3 सितम्बर-2011 मे अंकित आवश्यक शर्ते एवं मापदण्ड के आधार पर परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 की कंडिका 1.2 मे वर्णित प्रावधान कार्पोरेशन मे लागू होगे ।

ब- अधिवार्षिकीय आयु पर समकक्ष पद से सेवा निवृत्त ऐसे अधिकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये पात्र होगे, जिन्होंने कम से कम 05 वर्ष की सेवा किसी निर्माण विभाग, म.प्र. के निगम मण्डल मे वाणिज्यिक लेखा कार्य, मे वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार/लेखा अधिकारी एवं आडिट संबंधी दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक संपादित किया हो ।

ब-1-वित्तीय मामलों मे अतिरिक्त योग्यता जैसे- विधि, एमबीए,कम्पनी सचिव को वरीयता दी जावेगी ।

ब-2-फायनेंस/लेखा विभाग के विभाग प्रमुख के रूप मे कार्य करने वालों को वरीयता दी जावेगी ।

स- संबंधित अधिकारी का अभिलेख समग्र रूप से ''बहुत अच्छा'' श्रेणी या उससे उच्च कोटि का होना आवश्यक है ।

द- संबंधित अधिकारी की निष्ठा के बारे मे उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप न किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे मे उसकी ख्याति अच्छी रही हो ।

य-पिछले 10 वर्षो के दौरान संबंधित अधिकारी को कोई दीर्घ शस्ति नहीं दी गयी हो ।

र- संबंधित अधिकारी का स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो । यदि संविदा -नीति अंतर्गत चयन किया जाता है , उस स्थिति मे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । मेडिकल बोर्ड के द्वारा सेवा के लिये स्वस्थ पाये जाने पर ही नियुक्ति पर प्रभार ग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी ।

ल-आवेदन दिनांक को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष के लिये होगी अतः आवेदन दिनांक को 64 वर्ष तक आयु के अधिकारी ही आवेदन के लिये पात्र होगें ।

(3)संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्ते :–

1. संविदा सेवा मे नियुक्ति के लिये अवधि प्रथमतः एक वर्ष की होगी , जो नियमानुसार प्रबन्ध संचालक द्वारा उत्कृष्ट कार्य पर दो बार एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी ।
2. संविदा सेवा मे प्रतिमाह पेंशन की राशि घटाकर एकजाई वेतन देय होगा ।
3. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिये सेवा निवृत्ति के समय कुल वेतन से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी ।
4. पेंशन पृथक से प्राप्त होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी ।
5. उभय पक्षों मे से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
6. संविदा सेवा अवधि में पात्रतानुसार गृहभाडा भत्ता/अन्य भत्ते संविदा नियमों के अनुसार देय होगा ।
7. अस्थाई शासकीय सेवाको के समान अवकाश की पात्रता होगी ।
8. यात्रा भत्ते एव अन्य भत्तों की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व अधिकारी को थी ।
9. संविदा नियुक्ति आदेश के 45 दिवस तक कार्यभार ग्रहण न करने पर संविदा नियुक्ति आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जायेगा ।
10. संविदा पर नियुक्त अधिकारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 लागू होंगे । उक्त पद पर कार्य करते हुए यदि उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हे सम्यक जॉचोपरांत दोषी पाये जाने पर प्रबन्ध संचालक द्वारा उचित कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा ।
11. कार्यालय द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति एवं चयन प्रक्रिया को किसी भी समय , बिना कोई कारण बताये ''प्रबन्ध संचालक द्वारा निरस्त किया जा सकेगा'' ।

(4) उपरोक्त अर्हता /शर्ते पालन करने वाले सेवा निवृत्त अधिकारी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप मे आवश्यक सहपत्र एवं प्रमाण पत्रों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे दिनांक 03/09/2020 को कार्यालयीन समय 5.00 बजे अपरान्ह तक व्यक्तिशः अथवा डाक से भेज सकेगे । किन्तु दिनांक 03/09/2020 के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगे । डाक पत्र के विलम्ब के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा । डाक वितरण मे विलम्ब के लिये अभ्यार्थी उत्तरदायी होगें । अतः नियम दिनांक तक सभी कालमों की पूर्ति कर आवश्यक प्रमाण–पत्रों सहित आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जावेगे ।

(5) संविदा नियुक्ति के लिये निगम में गठित चयन समिति द्वारा अर्हकारी आवश्यक शर्ते एवं सामान्य शर्तो की पूर्ति करने वाले अभ्यार्थियों को दिनांक 10/09/2020 समय 11.00 बजे कार्पोरेशन मुख्यालय सभाकक्ष में आयोजित साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा । विज्ञापित सूचना के अलावा किसी अभ्यार्थी को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी । केवल आवेदन पत्र की स्वीकारिता एवं अस्वीकार्य करने के कारण की सूचना कार्पोरेशन की वेबसाईट www.policehousing.mp.gov.in मे दिनांक 10/09/2020 के पूर्व अपलोड कर दी जावेगी । डाक अथवा व्यक्तिशः सूचना नही दी जावेगी ।

संलग्न :– आवेदन का प्रारूप

प्रबन्ध संचालक
म.प्र.पुलिस आवास एवं अधों.संरचना

विकास निगम भोपाल

संविदा वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप–

1. आवेदक का पूरा नाम :–
2. पिता का नाम :–
3. जन्म तिथि :–
4. सेवा मे प्रथम नियुक्ति का दिनांक एवं पदः–
5. पद पर नियुक्ति का दिनांक :–
6. सेवा निवृत्ति का दिनांक :–
7. सेवा निवृत्ति के दिनांक का वेतनमान एवं उस पर प्राप्त वेतन रू.
8. निर्माण विभाग मे कार्यानुभव का विवरण :–

स.क्र.	विभाग का नाम एवं धारित पद का विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1			
2			

9. शैक्षणिक योग्यता :–

स.क्र.	योग्यता का विवरण	उत्तीर्ण बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परिणाम एवं श्रेणी
1			
2			
3			
4			

10. व्यवसायिक योग्यता :–

स.क्र.	योग्यता का विवरण	उत्तीर्ण बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परिणाम एवं श्रेणी
1			
2			
3			
4			

9. गोपनीय चरित्रावली ग्रेडिंग (विगत 10 वर्ष) :–

स.क्र.	वर्ष	श्रेणी
1.	31.03.2020	
2.	31.03.2019	
3.	31.03.2018	
4.	31.03.2017	
5.	31.03.2016	
6.	31.03.2015	
7.	31.03.2014	
8.	31.03.2013	
9.	31.03.2012	
10.	31.03.2011	
नोटः– यदि क्रम से उपलब्ध न हो तो उस स्थिति मे पिछले वर्ष की लेख की जावे ।		

12. सेवा काल मे प्रशंसनीय कार्यो के लिये प्राप्त प्रशंसा पत्र, ईनाम की संख्याः–
(प्रशंसा पत्र की सत्यापित प्रतियॉ संलग्न किये जावें)
13. सेवा काल मे प्राप्त दण्ड लघुशस्ति, दीर्घशस्ति, चेतावनी आदि की संख्याः–
(दिनांक सहित पृथक–पृथक क्रम में अंकित कर सूची संलग्न की जावें)
14. लंबित/निराकृत, विभागीय जॉच,अपराधिक प्रकरण, अनुशासनिक जॉच की पृथक–पृथक संख्या :–
(कुल आदेशित/निराकृत का विवरण पृथक–पृथक सूचीबद्ध कर संलग्न किया जावे , किन्तु यदि वर्तमान में लंबित है तो आवेदन न किया जावे । जॉच लंबित न होने संबंधी पृथक–पृथक शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । वर्तमान मे अथवा सेवाकाल मे ऐसी प्रत्येक जॉच का व्यौरा अंकित कर स्व–हस्ताक्षरित एवं वर्तमान स्थिति का व्यौरा सूचीबद्ध कर, तत्संबंधी शपथ–पत्र संलग्न किये जावे)
15. विगत 10 वर्ष मे गंभीर बीमारी के लिये अन्तःरोगी के रूप मे उपचारार्थ चिकित्सालय मे भर्ती की अवधि एवं चिकित्सीय आधार पर स्वीकृत लघुकृत अवकाश की अवधि :–
अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा ।
संलग्नक– पेज
दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

// सत्यापन–प्रमाण–पत्र//

मैं .... शपथ पूर्वक , सत्य निष्ठा से सत्यापित करता हूॅ कि आवेदन पत्र मे स.क्र.01 से 15 तक मेरे द्वारा अंकित की गई जानकारी जहॉ तक मुझे ज्ञात है , मेरे अभिलेख अनुसार सही एवं सत्य है । यदि कोई जानकारी असत्य पाई जावे तो मेरा आवेदन निरस्त कर मेरी प्रतिभागिता निरस्त कर मेरे विरूद्ध कार्यवाही के यिले प्रबन्धन को अधिकार होगा ।

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर